1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि और संगतता में सुधार पर अधिक बल देते हुए सभी क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार और विस्तार, सुलभता में असमानताओं को दूर करने की परिकल्पना की गई थी। जिसमें तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा सामिल है। इसके अन्तर्गत इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा को सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और सुविधा विहीन व अल्पसंख्यकों के लिये सही स्थान प्राप्त करने में एक सकारात्मक और हस्तक्षेपीय भ्रमित अदा करनी चाहिये।

राष्ट्र, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी तौर पर वचनबद्ध है जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैंः मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, विशेष जरूरतों वाले बच्चे को कवर करते हुये, निश्रक्षरता का उन्मूलन, व्यवसायिकरण महिलाओं की समानता के लिये शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल।

1992 में यथासंशोधिक राष्ट्रीय नीति 1988 से भारत में प्रारंभिक शिक्षा को एक नई प्राथमिकता प्राप्त हुई जिसमें निम्नलिखित तीन पहलुओं पर बल दिया गयाः

1. व्यापक सुलभता और दाखिला।
2. 14 वर्ष की आयु तक बच्चों का व्यापक प्रतिधारण।
3. शिक्षा की कोटि में पर्याप्त सुधार हो ताकि सभी बच्चे अध्ययन का अनिवार्य स्तर प्राप्त कर सकें।

नीति के अन्तर्गत, इस बात पर भी बल दिया गया कि शिक्षा को सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और सुविधाविहिन तथा अल्पसंख्यकों के लिये सही स्थान प्राप्त करने में एक सकारात्मक और हस्तक्षेपणीय भूमिका अदा करने की जरूरत है।

भारत, सर्वसुलभ शिक्षा के लिये विश्व व्यापी अभियान में भी एक सक्रिय भागीदार है। जो जो मिलियन थाइलैण्ड में 1990 में शुरू हुआ था। भारत ने डकार (सेनेगल) घोषणा और 'सभी के लिये शिक्षा' के लिये कार्रवाई के फेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने व्यापक प्रारम्भिक शिक्षा की दिशा में त्वरित प्रगति के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये हैंः

संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम 2002–6–14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिये प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बनाता है।

- प्रारम्भिक शिक्षा के लिये संसाधनों में वृद्धि करने के लिये 2004 में प्रमुख केन्द्रीय दरों पर 2 प्रतिशत की दर से एक शिक्षा उपकर आरोपित किया गया था। शिक्षा उपकर की प्राप्तियां प्राप्त करने के लिये 'प्रारंभिक शिक्षा कोष' नामक एक अव्ययगतनीय पृथक, समर्पित कोष सृजित किया गया है।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–2007) में प्रारंभिक शिक्षा के लिये 28.750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जो नौंवी योजना के आवंटन से 75 प्रतिशत अधिक है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की प्रमुख स्कीम निम्नलिखित हैं:

- सर्व शिक्षा अभियान जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम और शिक्षा गारंटी स्कीम और वैकल्पिक तथा नूतन शिक्षा (इजीएस और एआईई)
- जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)
- प्राथमिक शिक्षा के लिये पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएनएसपीई) आमतौर पर मध्याह्न योजना नाम से योजना स्कीम के नाम से विख्यात है।
- शिक्षक शिक्षा
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)
- महिला समाख्या।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्न है।

1. सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य स्तर से जिला, ब्लाक व स्कूल स्तर तक राशि के वितरण का तरीका तथा इसकी क्रियान्विति जिला स्तर, ब्लाक स्तर, विद्यालय स्तर पर किस प्रकार हो रही है
2. विभिन्न स्तरों पर कितनी राशि का वास्तविक रूप से खर्च हो रही है।
3. ब्लाक स्तर व स्कूल स्तर पर गठित विभिन्न समितियों की भूमिका का अध्ययन करना।

4. पंचायती राज की त्रीस्तरीय व्यवस्था का शिक्षण के सार्वजनिनकरण में भूमिका का विश्लेषण करना
5. उन अवसरों/कमियों को चिन्हित करना जिससे यह ज्ञात हो सके कि सर्व शिक्षण अभियान व पंचायती राज के बीच क्या मजबूतियां है और क्या कमियां हैं।

अध्ययन का क्षेत्र

इस अध्ययन में राजस्थान के जयपुर व झुझुंनू जिले को शामिल किया गया हैं। झुझुंनू जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत 1998 में हुई थी। जयपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत 2002 की गई थी। इस अध्ययन में दोनों जिलों से दो–दो पंचायत समितियों के पांच–पांच विद्यालयों को शामिल किया गया है। जयपुर जिले की चाकसू पंचायत समिति व गोविन्दगढ़ पंचायत समिति तथा झुझुंनू जिले की अल्सीसर तथा झुन्झुनू पंचायत समिति को शामिल किया गया है।

प्रत्येक जिले में 5 प्राथमिक विद्यालय व 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन में शामिल किया गया है। कुल 10 प्राथमिक विद्यालय व 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल है।

(विद्यालयों की सूची परिशिष्ट –1 में)

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) नामक एक व्यापक कार्यक्रम है जिसे 2001–02 में शुरू किया गया था।

एसएसए का निर्माण इससे पहले के अनेक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अभाव के आधार पर किया गया था। जिसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा कर्मी, परियोजना (एसकेपी) और लोक जुम्बिश परियोजना शामिल है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच एक भागीदारी कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य उत्तम शिक्षा की व्यवस्था पर विशिष्ट बल देते हुए एक समुदाय–स्वामित्व दृष्टिकोण के माध्यम से स्कूल पद्धति के निष्पादन में सुधार करना है, एसएसए एक समयबद्ध मिशन है, जिसका उद्देश्य 2410 तक प्रारम्भिक अंल्शे में पाटना है।

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं जिनको इस कार्यक्रम के तहत क्रियान्वितकरण व प्राप्त करना प्रमुख है–

- प्रत्येक 40 बच्चों पर एक अध्यापक का होना,
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों का होना
- प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक का होना।
- प्रत्येक एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय नीति गठित करना।
- प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का होना।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो कक्ष व एक बरामदा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिए अलग से कक्ष होना।
- बालिकाओं/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करना।
- निर्माण कार्यों में कुल राशि का 33 प्रतिशत व्यय करना। प्रतिवर्ष विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से राशि 5000/– रुपये प्रति वर्ष विद्यालय भवन के रख रखाव पर व्यय।

शाला विकास प्रबन्धन समिति

सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन में विकेन्द्रीकरण एवं जन समन्वयक स्थापित करने एवं विद्यालय विकास, विद्यालय में शैक्षणिक स्तर व शिक्षक गुणवत्ता में रचनात्मक सुधार करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एस. डी.एम.सी.)का गठन किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने संघ विधान पत्र एवं नियमावली बनाकर प्रत्येक राजकीय विद्यालय में अनिवार्य रूप से इसको लागू करवाया है। प्रत्येक विद्यालय की एक साधारण सभा व एक कार्यकारिणी समिति का गठन सभी विद्यालयो में किया गया है।

विद्यालय के कार्यकारिणी में 13 सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान है। इस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सचिव विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा नियुक्त शिक्षक होते हैं। कार्यकारिणी में ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, विद्यालय के छात्र/छात्रा, तीन अभिभावक सदस्य, आदि को शामिल करने का प्रावधान है।

कार्यकारिणी समिति के मुख्य अधिकार एवं कर्त्तव्य, विकास कोष से करवाये जाने वाले विकास कार्यों का निर्णय करना, आय व्यय का जायजा लेना, वार्षिक बजट पारित करना प्रमुख है।

कार्यकारिणी की कम से कम 4 बैठकें व साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य है। विद्यालय स्तर पर गठित समिति की सम्पूर्ण जानकारी संकुल स्तर से ब्लाक स्तर जिला स्तर व राज्य स्तर तक सबको उपलब्ध करवायी जाती है।

हम अध्ययन के दौरान, अध्ययन में शामिल सभी 20 विद्यालयों की कार्यकारिणी के तीन सदस्यों यथा अध्यक्ष/सचिव, पंचायतीराज जनप्रतिनिधि न अविभावकों से समिति प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। अध्ययन के उपरान्ध स्पष्ट रूप से निकलकर आया कि तीनों ही प्रकार के सदस्यों ने कार्यकारिणी की बैठकों के आयोजन के सम्बनध में अलग–अलग जानकारी दी।

एसडीएमसी सदस्य

अध्ययन में शामिल 20 विद्यालयों की विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति में कुल 246 सदस्य हैं। इनमें 157 पुरुष व 89 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 31 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, 6 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति, 50 प्रतिशत सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 14 प्रतिशत सदस्य सामान्य वर्ग के हैं।

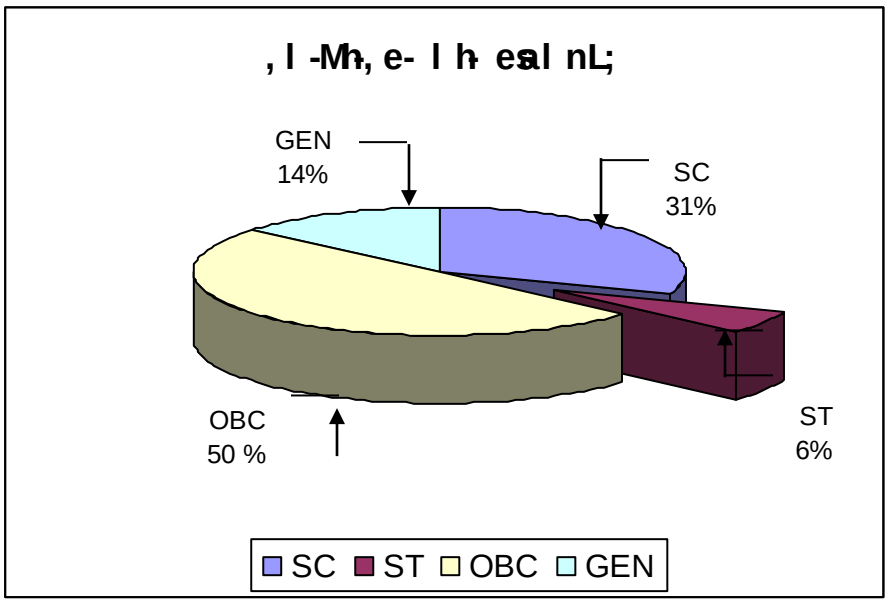

157 पुरुष सदस्यों में 31 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति 50 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग व 14 प्रतिशत सामान्य वर्ग के हैं वहीं 89 महिला सदस्यों में 25 प्रतिशत महिलाएं अनुसूचित जाति, 6 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति, 52 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग व 18 प्रतिशत सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं।

विद्यालय के अध्यक्ष/सचिव के अनुसार कार्यकारिणी की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है। चाकसू ब्लाक में विगत दो वर्षों के दौरान 2005–06 में औसतन 9 बैठकें तथा 2006–07 में औसतन 6 बैठकें प्रत्येक विद्यालय में आयोजित की गई। गाविन्दगढ़ ब्लाक में विगत दो वर्षों के

दौरान 2005–06 औसतन 4 बैठकें व 2006–07 में औसत 3 बैठके आयोजित की गई। इसी प्रकार अल्पीसर व झुन्झुनू ब्लाकों में 2005–06 व 2006–07 औसतन 10–10 बैठकों का आयोजन किया गया।

सारणी –1

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति की बैठकें

(समिति के अध्यक्ष/सचिव के अनुसार)

ब्लाक	औसत बैठकों का विवरण	
	2005–06	2006–07
गोविन्दगढ़	9	6
चाकसू	4	3
अल्पीसर	10	10
झुन्झुनू	10	10

स्रोत– अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर

पंचायत प्रतिनिधि के अनुसार

विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति में पंचायती राज जनप्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य कार्यकारिणी में सदस्य के बतौर शामिल किये जाने का प्रावधान है। अध्ययन के उपरान्त निकलकर आया कि 80 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों का मानना था कि उन्हें कार्यकारिणी की बैठकों के बारे में जानकारी बहुत कम बार दी जाती है। यहां तक कि भूतेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच जो कि इस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वह इस समिति के सदस्य हैं। 40 प्रतिशत सदस्यों का कहना था कि वे विद्यालय विकास समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। 60 प्रतिशत सदस्यों का कहना था कि उनसे सिर्फ हस्ताक्षर करवाये जाते हैं। 75 प्रतिशत सदस्यों का कहना था कि उनके पास ऐजेन्डा की जानकारी बैठक से पूर्व नहीं दी जाती है। गोविन्दगढ़ पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार 2005–06 व 2006–07 में औसतन 2 बार उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। चाकसू ब्लाक के प्रतिनिधियों द्वारा 2005–06 व 2006–07 में औसतन 3–3 बार बैठकों में भाग लिया। अल्पीसर ब्लाक में जनप्रतिनिधियों द्वारा 2005–06 में औसतन 6 बैठकों में तथा 2006–07 में औसतन 4 बैठकों में भाग लिया व वहीं झुन्झुनू ब्लाक में जनप्रतिनिधि ने 2005–06 व 2006–07 में औसतन 3–4 बार भाग लिया।

अभिभावकों के अनुसारः

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों में से तीन अभिभावक सदस्य जिनको साधारण सभा द्वारा मनोनीत किया जाता है, कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। इस अध्ययन में 20 अभिभावकों से चर्चा की गई। 95 प्रतिशत अभिभावकों को जानकारी थी कि वह विद्यालय की एस.डी.एम.डी. के सदस्य हैं। 70 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार उन्होंने कभी ना कभी कार्यकारिणी की बैठकों में भाग लिया है परन्तु 80 प्रतिशत लोगों का कहना था कि बैठक से पूर्व बैठक का एजेण्डा उन्हें नहीं बताया जाता है, विद्यालय में जाकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाये जोत हैं।

गोविंदगढ़ ब्लाक के अभिभावक सदस्यों के अनुसार 2005–06 में औसतन 2 बार बैठकों में भाग लिया वहीं 2006–07 में 1–1 बैठकों में भाग लिया। चाकसू ब्लाक में अभिभावकों के अनुसार 2005–06 में 3 बार 2006–07 में औसतन 2 बार बैठकों में भाग लिया है। अल्सीसर व झुन्झुनू ब्लाक में अभिभावकों को औसतन 3–4 बार बैठकों में भाग लिया।

पंचायत समिति प्रधान की भूमिका

अध्ययन में शामिल चारों पंचायत समितियों के प्रधानों से चर्चा करने के उपरांत निकलकर आया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पंचायत समिति स्तर पर गठित की गई समितियों में प्रधान की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वह सिर्फ आदेशों पर हस्ताक्षर करने तथा बैठकों की अध्यक्षता करने का काम करता है।

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय परिसर में मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, रसोईघर, शौचालय/मूत्रालय की सुविधा विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं तथा उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। विश्लेषण में निकलकर आया कि अध्ययन में शामिल 10 प्राथमिक विद्यालयों में से 70 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा विद्यालय परिसर में थी। वहीं 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा विद्यालय परिसर में थी। मात्र 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही बिजली की सुविधा कक्षा कक्ष में थी। जबकि एक भी प्राथमिक विद्यालय में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मात्र 30 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में ही मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए अलग से रसोईघर बने हुए थे जबकि 40 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध थी। 60 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में तथा 80 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में शौचालय एवं मूत्रालय बने हुए थे परन्तु इनमें से 50 प्रतिशत शौचालय व मूत्रालय काम में नहीं लिए जा रहे थे। (विद्यालय वार सुविधाएं परिशिष्ट 2 व 3 पर)

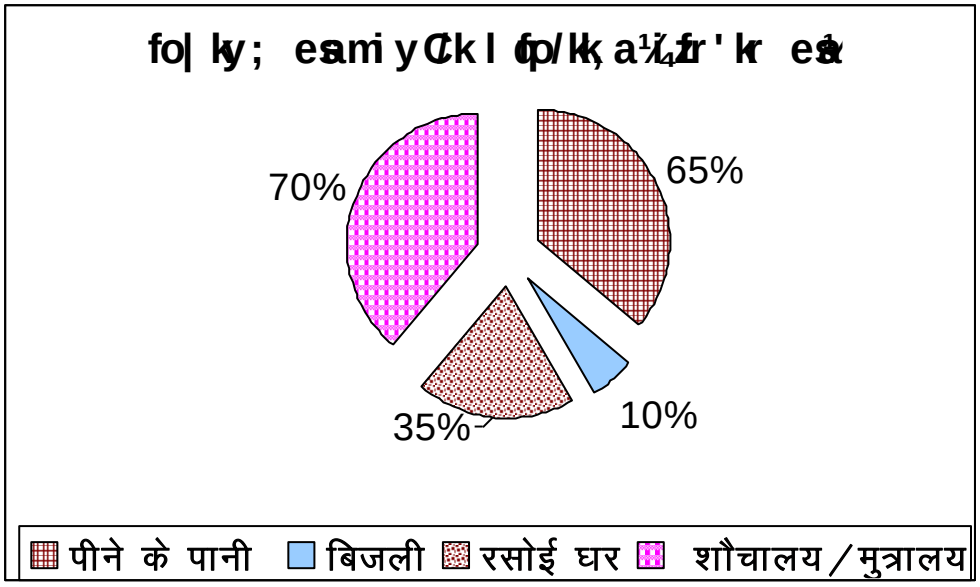

विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति

प्राथमिक विद्यालयों में सर्वेक्षण वाले दिन बच्चों की उपस्थिति तथा नामांकन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 73 प्रतिशत बच्चे सर्वेक्षण वाले दिन विद्यालय में उपस्थित थे वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय मे 75 प्रतिशत बच्चे उपस्थित थे। गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के नीमड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय में सर्वेक्षण वाले दिन मात्र 33 प्रतिशत बच्चे केशव की ढाणी में 60 प्रतिशत बच्चे सर्वेक्षण वाले दिन उपस्थित थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय रैगरों के मोहल्ले में सर्वेक्षण वाले दिन 50 प्रतिशत बच्चे विद्यालय में उपस्थित थे। कुल नामांकित बालक बालिकाओं में

प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 57 प्रतिशत बालिकाएं है वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय मे 53 प्रतिशत बालिकाएं नामाकित है। (विद्यालय वार नामाकंन परिशिष्ट 4 व 5 पर)

छात्र शिक्षक अनुपात

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 40 बच्चों पर एक अध्यापक होने का प्रावधान है। अध्ययन के दौरान निकलकर आया कि प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 23 बच्चों पर एक अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त है।

सारणी न.– 2
प्राथमिक विद्यालयों में छात्र– शिक्षक अनुपात

पंचायत समिति का नाम	गावं का नाम	कुल नामांकन	कुल अध्यापक	छात्र शिक्षक अनुपात
गोविन्दगढ़	केशवों की ढाणी	92	2	46
गोविन्दगढ़	नीमडी	51	2	26
चाकसू	मीरापुरा	63	3	21
चाकसू	नन्दलालपुरा	71	2	36
चाकसू	रूपाहेडी खुर्द	63	3	21
अल्सीसर	अलसीसर (कन्या प्राथमिक विद्यालय)	121	5	24
अल्सीसर	हंसासर	100	5	20
अल्सीसर	वार्ड न. 3 निराधनु	71	2	36
झुन्झुनू	चारणवास	67	4	17
झुन्झुनू	वारिसपुरा	71	5	14
	योग	**770**	**33**	**23**

सारणी न.– 3
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र– शिक्षक अनुपात

पंचायत समिति का नाम	स्कूल का नाम	कुल नामांकन	कुल अध्यापक	छात्र शिक्षक अनुपात
गोविन्दगढ़	रैगरों का मोहल्ला	232	5	46
गोविन्दगढ़	भूतेडा	153	5	31
गोविन्दगढ़	ढोढसर (कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय)	292	9	32
चाकसू	बाढबागपुरा (कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय)	324	9	36
चाकसू	बडोदिया	309	6	52
अल्सीसर	लुणा	243	9	27
अल्सीसर	झटावा कला	201	6	34
झुन्झुनू	आबूसर	108	6	18
झुन्झुनू	नयासर	193	8	24
झुन्झुनू	बाकरा (कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय)	79	4	20
	योग	**2134**	**67**	**32**

सौत – सर्वेक्षण के आधार पर

प्राथमिक विद्यालय केशवों की ढ़ाणी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय रैगरों के मोहल्ले में 46 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ोदिया में 56 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त है। प्राथमिक विद्यालय नीमड़ी, रूपाहेड़ी खुर्द में 21 बच्चों पर एक अध्यापक था जबकि चारणवास व वारिसपुरा प्राथमिक विद्यालय में क्रमशः 17 व 14 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय आबूसर तथा कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकरा में क्रमशः 18 व 20 बच्चों पर एक अध्यापक नियुक्त है। (सारणी संख्या– 2 व 3 में) ।

राशि का आंवटन व व्यय

सर्व शिक्षा अभियान के तहत व्यय किये जाने वाली राशि का निर्धारण केन्द्र व राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। केन्द्र से एक मुश्त राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार अपनी कार्य योजना के अनुसार इस राशि का वितरण जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर करती है।

केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि

केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का पिछले तीन सालों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में केन्द्रीय अंश के रूप में 463.23 करोड़ रुपये जारी करने थे इसकी एवज में केन्द्र ने 230 करोड़ रुपये ही जारी किये जो उसके अंश का 49.70 प्रतिशत था।

सारणी न.– 4

केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि

राशि करोड़ रुपये में

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	केन्द्र का अंश	केन्द्र द्वारा जारी राशि	जारी की गई राशि का प्रतिशत
2001-02	55.38	47.08	39.08	83.0%
2002-03	174.34	148.19	64.07	43.2%
2003-04	430.36	322.77	152.52	47.3%
2004-05	617.64	463.23	230.00	49.7%
2005-06	833.18	624.89	588.29	94.1%
2006-07 (up to Jan. 07)	1235.31	926.48	721.38	77.9%
Total	**3346.22**	**2509.66**	**1795.34**	**71.5%**

स्रोत – राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद व शिक्षा विभाग के प्रगति प्रतिवेदन

2005–06 में केन्द्र ने 624.89 करोड़ रुपये की तुलना में 588.29 करोड़ रुपये राज्य को उपलब्ध कराये जो लगभग 94 प्रतिशत थे। जनवरी 2007 तक केन्द्र सरकार ने अपने अंश के लगभग 77 प्रतिशत राशि जारी कर चुकी थी। सारणी –4 में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई राशि का विवरण दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी राशि

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रथम किश्त केन्द्र सरकार जारी करता है उसके उपरान्त राज्य को अपना अंश जारी करने का प्रावधान है। एक बार केन्द्र द्वारा राशि जारी करने के उपरान्त जब तक राज्य अपने अंश की राशि जारी नहीं करता केन्द्र आगे की राशि जारी नहीं करता है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में राज्य अंश के रूप में 154.41 करोड़ रुपये जारी करने का प्रावधान था परन्तु उसने 68.30 प्रतिशत राशि जारी की। राज्य द्वारा इस वर्ष 105.43 करोड़ रुपये जारी किये। 2005–06 में राज्य ने 79.40 प्रतिशत राशि जारी की तथा जनवरी 2007 तक 77.90 प्रतिशत राशि जारी की। सारणी –5 में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी गई राशि का विवरण दिया गया है।

सारणी न.– 5

राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि

राशि करोड़ रुपये में

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	राज्य का अशं	राज्य द्वारा जारी राशि	जारी की गई राशि का प्रतिशत
2001-02	55.38	8.31	21.05	253.4%
2002-03	174.34	26.15	13.16	50.3%
2003-04	430.36	107.59	62.55	58.1%
2004-05	617.64	154.41	105.43	68.3%
2005-06	833.18	208.30	165.37	79.4%
2006-07(up to Jan. 07)	1235.31	308.83	240.46	77.9%
Total	**3346.22**	**836.55**	**608.02**	**72.7%**

स्रोत – राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद व शिक्षा विभाग के प्रगति प्रतिवेदन

जिला स्तर पर आवंटित की गई राशि तथा व्यय राशि

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अध्यापको की नियुक्ति व पाठय पुस्तको की खरीद का कार्य राज्य स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय की जाने वाली राशि राज्य द्वारा जिलों को उपलब्ध करवाई दी जाती है। जिला स्तर से विद्यालयों को निर्माण कार्यो के लिए मरम्मत एवं

रखरखाव, अध्यापक सहायता अनुदान और अध्यापन अधिगम उपकरण के लिए राशि जिला स्तर से जारी की जाती है। जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर राशि ब्लाक संदर्भ केन्द्र के संचालन तथा अध्यापक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए जारी की जाती है।

ग्राफ – 3

जयपुर व झुन्झुनू जिले आवंटित राशि व व्यय राशि

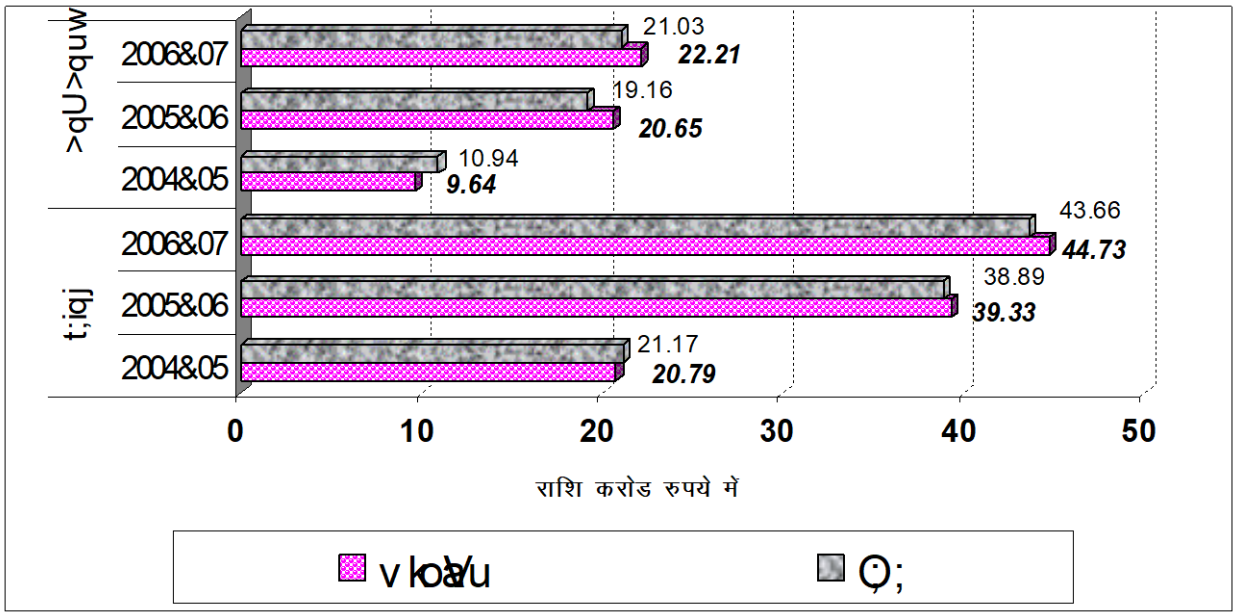

स्रोत – राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद व शिक्षा विभाग के प्रगति प्रतिवेदन

जयपुर व झुंझुनू जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि तथा व्यय राशि का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि दोनों ही जिलों में आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय की है। सारणी – – के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 में जयपुर जिले को 20.79 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जिसकी तुलना में उसने 21.17 करोड़ रुपये व्यय किया। वहीं झुंझुनू जिले में आवंटित राशि 9.64 करोड़ की तुलना में 10.94 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 2005–06 में जयपुर जिले को 39.33 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जिसकी तुलना में 38.89 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वहीं झुंझुनू जिले को 20.65 करोड़ रुपये आवंटित किये गये जिसकी तुलना में 19.16 करोड़ रुपये व्यय किये गये। 2006–07 में जयपुर जिले को 44.73 करोड़ रुपये आवंटित किये गये इसकी तुलना में जनवरी 2007 तक 43.66 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। वहीं झुंझुनू में आवंटित राशि 22.21 करोड़ रुपये की तुलना में 21.03 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

यदि जिले की वार्षिक कार्य योजना तथा व्यय राशि का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता हे कि जिला स्तर पर तैयार की गई कार्ययोजना के अनुरूप राज्य द्वारा पूर्ण राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है।

सारणी 6 व 7 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 की कार्य योजना के अनुसार जयपुर जिले का बजट प्रावधान 33.63 करोड़ रुपये का था इसकी एवज में राज्य द्वारा 20.79 करोड़ रुपये आवंटित किये।

सारणी न.– 6

राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले को आंवटित राशि व व्यय की गई राशि

राशि करोड़ रुपये में

मद	2004-05			2005-06			2006-07 (Up to Jan. 2007)		
	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	व्यय राशि	प्रतिशत व्यय राशि	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	व्यय राशि	प्रतिशत व्यय राशि	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	व्यय राशि	प्रतिशत व्यय राशि
निमार्ण कार्य	13.91	10.34	74.3%	13.22	13.22	100.0%	23.05	19.49	84.6%
मरम्मत एवं रखरखाव कार्य	1.46	1.23	84.3%	0.49	0.47	96.5%	1.38	1.37	99.3%
अध्यापन अधिगम उपकरण	1.65	1.00	60.5%	1.18	1.18	100.0%	1.09	-0.20	-18.6%
स्कूल अनुदान	0.22	0.18	81.1%	0.19	0.19	99.1%	0.19	0.17	87.6%
अध्यापक अनुदान	0.30	0.26	87.8%	0.27	0.26	97.4%	0.18	0.17	93.5%
कुल जिला स्तर पर	**33.63**	**21.17**	**62.9%**	**43.20**	**38.89**	**90.0%**	**58.24**	**43.66**	**75.0%**

स्रोत – राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद व शिक्षा विभाग के प्रगति प्रतिवेदन

सारणी न.– 7

राज्य सरकार द्वारा झुंझुनू जिले को आंवटित राशि व व्यय की गई राशि

राशि करोड़ रुपये में

	2004-05			2005-06			2006-07 (Up to Jan. 2007)		
	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	व्यय राशि	प्रतिशत व्यय राशि	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	व्यय राशि	प्रतिशत व्यय राशि	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	व्यय राशि	प्रतिशत व्यय राशि
निमार्ण कार्य	6.90	4.59	66.5%	8.10	8.09	99.9%	9.57	8.30	86.7%
मरम्मत एवं रखरखाव कार्य	0.78	0.76	97.2%	0.29	0.26	90.1%	0.91	0.91	99.1%
अध्यापन अधिगम उपकरण	0.85	0.51	59.7%	0.67	0.35	51.7%	0.44	-0.13	-28.4%
स्कूल अनुदान	0.11	0.09	84.8%	0.12	0.11	93.6%	0.35	0.35	100.0%
अध्यापक अनुदान	0.21	0.14	68.7%	0.17	0.17	100.0%	0.21	0.21	100.0%
कुल जिला स्तर पर	**15.87**	**10.94**	**69.0%**	**21.45**	**19.16**	**89.3%**	**28.96**	**21.03**	**72.6%**

स्रोत – राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद व शिक्षा विभाग के प्रगति प्रतिवेदन

इसी प्रकार सारणी –7 के अनुसार झुंझुनू जिले की वार्षिक कार्य योजना 15.87 करोड़ रुपये की थी जबकि उसको 9.64 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। 2005–06 की जयपुर जिले की वार्षिक कार्य योजना 43.20 करोड़ रुपये की थी जबकि उसे 39.33 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। झुंझुनू जिले की वार्षिक कार्य योजना 21.45 करोड़ रुपये की थी जबकि उसको 20.65 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। वर्ष 2006–07 की जयपुर जिले की वार्षिक कार्य योजना 58.24 करोड़ रुपये की थी। इसकी एवज में जनवरी 2007 तक 44.73 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। वहीं झुंझुनू जिले की वार्षिक कार्य योजना 28.96 करोड़ रुपये की जिसकी तुलना में उसे 22.21 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। वार्षिक कार्य येाजना व व्यय का प्रतिशत का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि जिला स्तर पर वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप 62 से 90 प्रतिशत राशि ही व्यय की जाती है।

खण्ड स्तर पर व्यय राशि

विद्यालय स्तर पर शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के नाम से प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में समिति के अध्यक्ष व सचिव के माध्यम से निकटतम बैंक में खाता खुलवाया जाता है। जिला स्तर से इन बैंक खातों में निर्माण कार्य मरम्मत एवं रखरखाव की राशि सीधे विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवा दी जाती है। इसके उपरान्त संबंधित विद्यालय उस राशि का उपयोग निर्माण कार्य, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए करते हैं। शिक्षक सहायता एवं अध्यापक अधिगम स्तर की राशि भी इन खातों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2005–06 तक शिक्षण सहायता एवं अध्यापक अधिगम उपकरण की राशि व्यय करने का अधिकार विद्यालय के अध्यापक को होता था। परन्तु 2006–07 से यह राशि विद्यालय अध्यापक को उपलब्ध न कराकर जिला स्तर पर सामूहिक रूप से खरीद करवाई जाने का प्रावधान किया गया है।

विद्यालय स्तर पर व्यय राशि का विश्लेषण

विद्यालय स्तर पर व्यय की जाने वाली राशि का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। ब्लॉक स्तर पर नियुक्त सिविल अभियंता द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर से संबंधित राशि विद्यालय के खाते में डाल दी जाती है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा तैयार की गई योजना के अनुरूप विद्यालय को आवश्यक धन राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती। पंचायत समितिवार विद्यालय

द्वारा व्यय की गई राशि का विश्लेषण सारणी – 8(अबसद) में किया गया है। इस विश्लेषण को विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी व जिला स्तर/ब्लाक द्वारा उपलब्ध करवायी गई जानकारी के की तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण करेगें।

सारणी – 8 अ में अल्सीसर पंचायत समिति के विद्यालयों में व्यय की गई राशि का दर्शाया गया है। सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जहां विद्यालय के अनुसार मरम्मत कार्यों में 86250 रुपये व्यय बताया गया है वहीं जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 50000 रुपये व्यय करना अल्सीसर ब्लाक के समस्त विद्यालयों में गत दो वर्षों में 428379 रुपये व्यय करना बताया गया है जबकि जिला स्तर पर प्राप्त सूचना के अनुसार 405000 रुपये व्यय करना बताया गया है। अल्सीसर ब्लाक में विद्यालय की सूचनाओं के अनुसार 12871 रुपये शेष रहना बताया गया है। जबकि जिला सूचना के अनुसार अल्सीसर ब्लाक में 6000 रुपये शेष बताया गया है।

गोविंदगढ़ ब्लाक में विद्यालय के अनुसार 277100 रुपये पिछले दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत व्यय करना बताया गया है। जबकि जिले की सूचना के अनुसार यह राशि 20000 रुपये होती है। रैगरों का मोहल्ला प्राथमिक विद्यालय में 310000 रुपये कक्षाकक्ष निर्माण के लिए उपलब्ध करवाया जाना बताया गया है जबकि विद्यालय की सूचना के अनुसार यह राशि व्यय होना नहीं बताई गई है। इसी प्रकार केशवों की ढाणी में शौचालय एवं मूत्रालय के लिए 20000 रुपये व्यय करना बताया गया है। जबकि विद्यालय की सूचना के अनुसार वहां पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

चाकसू

चाकसू ब्लाक में विद्यालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगत दो वर्षों में 373000 रुपये व्यय करना बताया गया है जबकि जिले की सूचना के अनुसार विद्यालय में 232500 रुपये व्यय करना बताया गया है। बालिका विद्यालय बाढ़बागपुरा में विद्यालय सूचना के अनुसार 20000 रुपये शौचालय एवं मूत्रालय के लिए व्यय किया जाना बताया गया जबकि जिले सूचना के अनुसार इस राशि का प्रावधान नहीं बताया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ोदिया में नये कक्षाकक्ष निर्माण के लिए 300000 रुपये प्राप्त होना बताया गया है। इसके एवज में विद्यालय सूचना के अनुसार 225000 रुपये व्यय होना बताया गया है जबकि जिला सूचना के अनुसार 112500 रुपये व्यय होना बताया गया है।

झुंझुनू

झुंझुनू ब्लाक में विद्यालय सूचना के अनुसार गत दो वर्षों में 722473 रुपये व्यय होना बताया गया है जबकि जिला सूचना के अनुसार 578000 रुपये व्यय होना बताया गया है। प्राथमिक विद्यालय बाकरा में नये कक्षाकक्ष निर्माण के लिए 468000 रुपये राशि प्राप्त हुई जिसमें से 479973 रुपये व्यय होना बताया गया। जिला सूचना के अनुसार विद्यालय में 468000 रुपये व्यय होना बताया गया। जिला सूचना के अनुसार आबूसर के प्राथमिक विद्यालय में शौचलय एवं मूत्रालय के लिए 20000 रुपये तथा पीने के पानी की सुविधा के लिए 20000 रुपये व्यय करवाना बताया गया। जबकि विद्यालय सूचना के अनुसार कोई राशि व्यय करना नहीं बताया गया है। इसी प्रकार नयासर विद्यालय में विद्यालय सूचना के अनुसार चार दिवारी के लिए 35000 रुपये व्यय करना बताया गया है। जबकि जिला सूचना के अनुसार यहां एक भी राशि व्यय करना नहीं बताया गया है।

शिक्षक अनुदान एवं अध्यापक अधिगम उपकरण

अध्ययन में शामिल सभी विद्यालयों में जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का शतप्रतिशत व्यय होना बताया गया है।